



संख्या : 1594 / जी०एस०(शिक्षा) / A3-45 / 2018

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून: दिनांक: 13 सितम्बर, 2021

कृपया अपने पत्र संख्या: 2142 के०यू०/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा देवस्थली विद्यापीठ, (डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन), कच्ची खमरिया, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- तदनुसार संस्थान के अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्यान्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

क्र०	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	देवस्थली विद्यापीठ, (डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन), कच्ची खमरिया, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	बी०बी०ए०	60 सीट	सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्थान के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- संस्थान के मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय को होगा। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता के दृष्टिगत संस्थान को विषयांकित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व छात्रहित में यू०जी०सी०/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगी ताकि अपूर्ण मानकों के कारण अध्ययनरत् छात्रों के हित प्रभावित न हों।

3- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1594 (1) / जी०एस०(शिक्षा) / A3-45 / 2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।